पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक / 3111 / अका. / 2011 रायपुर, दिनांक 7 मार्च, 2011

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 26.02.2011 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1.	डॉ.एस.के.पाण्डेय,	कुलपति –	अध्यक्ष
2.	प्रो.(श्रीमती) प्रोमिला सिंह	–	सदस्य
3.	प्रो. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
4.	प्रो. आर.पी. दास	–	सदस्य
5.	प्रो. ए.के. पति	–	सदस्य
6.	प्रो. विभूति राय	–	सदस्य
7.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	सदस्य
8.	डॉ. जगदीश गंगवानी	–	सदस्य
9.	डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम	–	सदस्य
10.	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
11.	डॉ. अरविन्द गिरोलकर	–	सदस्य
12.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
13.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
14.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
15.	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
16.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
17.	श्री रामजी भारती	–	सदस्य
18.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
19.	डॉ. शिवकुमार डहरिया	–	सदस्य
20.	श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.01.2011 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.01.2011 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।**

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2010 एवं 10.01.2011 के पालन प्रतिवेदन माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय : **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2010 एवं 10.01.2011 के पालन प्रतिवेदन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई।**

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2010

विषय कमांक 9 – (1) समिति का रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त किया जावे।
(2) कीडा एवं सांस्कृतिक कार्यकम के संबंध में शीघ्र समिति का रिपोर्ट प्राप्त किया जावे। इस संबंध में कुलपति जी द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि अगले बजट में इस मद के लिए प्रावधान रखा जावे।

कार्यपरिषद दिनांक 10.01.2011 –

बिंदु कमांक–1 श्री अभिषेक गुप्ता, बी.ए.एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर, अनुकमांक 460003 के प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि जिस विशेषज्ञ से पहली बार जांच कराया गया है, उसी से समिति द्वारा अनुशंसित बिंदुओं पर पुनः स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर कार्यपरिषद के निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जावे।

कार्यपरिषद दिनांक 10.01.2011 –

विषय कमांक–2 (II) सेवानिवृत्त प्राध्यापकों की ग्रंथालय सदस्यता स्थगित रखा जाए के प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर पुनः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय, – –इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही से कार्यपरिषद को अवगत करायी जावे।

विषय कमांक–3 राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधी प्रकरण पर यह जानकारी प्रस्तुत की जावे कि आवंटित राशि का उपयोग नहीं करने वाले संस्थाओं के नाम उल्लेखित किया जावे। यह भी जानकारी दिया जाय कि इन्होंने क्यों उपयोग नहीं किया। आवंटित राशि उपयोग करने में क्या बाधाएं थी, जिसके कारण उपयोग नहीं कर सका।

अध्यक्ष की अनुमति से विषय कमांक–4 में निर्णय लिया गया कि डॉ.चित्तरंजन कर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के आवास किराया संबंधी प्रकरण पर समिति का रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किया जाय।

विषय कमांक–3

(1) डॉ. मनमोहन लाल सतनामी, व्याख्याता, रसायन, (2) डॉ. दीपेन्द्र सिंह, व्याख्याता, फार्मेसी (3) डॉ. विशाल जैन, व्याख्याता, फार्मेसी (4) श्री दिलीप तिर्की, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग को परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् स्थायीकरण लंबित रखते हुए वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदाय करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : (1) डॉ. मनमोहन लाल सतनामी, व्याख्याता, रसायन, (2) डॉ. दीपेन्द्र सिंह, व्याख्याता, फार्मेसी (3) डॉ. विशाल जैन, व्याख्याता, फार्मेसी (4) श्री दिलीप तिर्की, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग को परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकरण के संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण के बारे में पुनः संबंधित अधिवक्ता को पत्र लिखा जावे कि इसके निराकरण में इतना विलंब क्यों हो रहा है। यदि कोई समस्या है तो अन्य विधिक सलाह प्राप्त कर लिया जाय।

विषय कमांक–4

डॉ.डी.के.पाण्डेय, प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका–नेवरा, रायपुर को प्रतिनियुक्ति पर अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के पद पर पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

रायपुर को प्रतिनियुक्ति पर अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के पद पर पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में दिनांक 04.02.2011 से पदभार ग्रहण की सूचना ग्रहण एवं अनुमोदन करना।

निर्णय : **डॉ.डी.के.पाण्डेय, प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका–नेवरा, रायपुर को प्रतिनियुक्ति के द्वारा अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के पद पर प्रतिनियुक्ति पर विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण दिनांक 04.02.2011 की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। प्रकरण में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिनियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा समिति गठन कर एक नियम बना ली जावे।**

विषय कमांक–5

छात्र दशरथी साहू, सत्र 2007–08 अनुकमांक 8908973 बी.एड. परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने पर विचार करना।

निर्णय : **छात्र दशरथी साहू सत्र 2007–08 अनुकमांक 8908973 बी.एड. परीक्षा परिणाम घोषित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक–6

मुख्य परीक्षा सत्र 2010–11 के लिए परीक्षा संचालन हेतु निर्मित BA,B.Com., B.Sc., M.A., M.Com., M.Sc., एवं B.Ed./M.Ed./B.P.Ed. परीक्षा केन्द्रों का अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **मुख्य परीक्षा सत्र 2010–11 के परीक्षा संचालन हेतु निर्मित BA,B.Com., B.Sc., M.A., M.Com., M.Sc., एवं B.Ed./M.Ed./B.P.Ed. एवं अन्य विषयों के परीक्षा के लिए अधिसूचित परीक्षा केन्द्रों का अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक–7

दिनांक 29.12.2010 से 31.01.2011 तक कुल 27 छात्रों को पी–एच.डी. (अधिसूचना कमांक 1964 से 1990 तक) निर्गमित की गई है, के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **दिनांक 29.12.2010 से 31.01.2011 तक कुल 27 छात्रों को पी–एच.डी. की उपाधि प्रदान करने संबंधी जारी अधिसूचना का अनुमोदन किया गया।**

पूरक विषयसूची :

विषय कमांक–1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.02.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.02.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। इसके विषयसूची के अंतर्गत विषय कमांक 10 एम.एड. वार्षिक परीक्षा 2011 में महाविद्यालयों के द्वारा 25 सीट के स्थान पर 35 सीट वृद्धि एवं प्रवेश संबंधी विषय पर निर्णय लिया गया कि एन.सी.ई.टी. को भी विश्वविद्यालय के परिनियम एवं नियम की जानकारी देते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय। यह भी जानकारी में लाया जाय कि एन.सी.ई.टी. द्वारा जारी एन.ओ.सी. के आधार पर महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की अनुमति लिए बिना प्रवेश दे दिया है, जो विश्वविद्यालय के नियमों की अवहेलना है। संबंधित महाविद्यालय को विद्यापरिषद के स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित बिंदुओं के तहत नोटिस जारी करते हुए आगामी कार्यवाही की जावे।**

विषय क्रमाक–2

वार्षिक परीक्षा 2011 के परीक्षा आवेदन पत्र मुद्रण उपरान्त 3 PSD, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत देयक के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **वार्षिक परीक्षा 2011 के परीक्षा आवेदन पत्रों के मुद्रण उपरान्त 3 PSD अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत देयक के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा देयक के परीक्षण करने के उपरान्त उन्हें देय देयक रुपए 31,32,500.00 में 25 प्रतिशत कटौत्री कर रुपए 23,49,375.00 भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

विषय क्रमांक–3

विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा सत्र 2010–11 के आयोजन की तैयारी की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **वार्षिक परीक्षा 2010–11 के आयोजन की तैयारी करने संबंधी सूचना ग्रहण करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि वार्षिक परीक्षा की समस्त कार्यवाही के लिए कुलसचिव को संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से संचालित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।**

विषय क्रमांक–4

परीक्षा कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त केन्द्राध्यक्षों के पारिश्रमिक में वृद्धि के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : **परीक्षा कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त केन्द्राध्यक्षों के पारिश्रमिक में वृद्धि संबंधी प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :**

क.		पूर्व में स्वीकृत दर	निर्णय के पश्चात् संशोधित स्वीकृत दर
1	वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष	125/– प्रतिदिन	200/– प्रतिदिन
2	केन्द्राध्यक्ष	75/– प्रतिदिन	125/– प्रति पाली
3	सहायक केन्द्राध्यक्ष	60/– प्रति पाली	100/– प्रति पाली
4	अतिरिक्त सहायक केन्द्राध्यक्ष	60/– प्रति पाली	100/– प्रति पाली
5	वीक्षक	40/– प्रति पाली	75/– प्रति पाली

उपरोक्त अनुमोदित दर के अनुसार पारिश्रमिक इसी वर्ष से लागू करने के परिप्रेक्ष्य में शीघ्र प्रस्तुत समन्वय समिति से अनुमोदन हेतु भेजी जावे।

विषय क्रमांक–5

विश्वविद्यालयीन परीक्षा कार्य में संलग्न तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के पारिश्रमिक अधिकतम सीमा में वृद्धि के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालयीन परीक्षा कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों (शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारी) के पारिश्रमिक के अधिकतम सीमा में रु. 16000/– में वृद्धि कर रु. 25000/– (प्रत्येक बजट वर्ष) करने का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा कार्य से महाविद्यालयों में जो कर्मचारी इस कार्य हेतु अधिकृत किए जाते हैं, उनके लिए भी अधिकतम सीमा यही होगा।**

विषय कमांक–6

लेखा अधिकारी पद के विरूद्ध श्री एस.आर. विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक (वित्त) को लेखाधिकारी पद पर मानदेय पर रखने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : लेखा अधिकारी पद के विरूद्ध श्री एस.आर.विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक (वित्त) को लेखा अधिकारी पद पर मानदेय पर रखने के प्रकरण पर (वेतन बैंड 15600–39100+6600 ग्रेड वेतन में पेंशन काटकर) मानदेय पर रखने संबंधी निर्णय का अनुमोदन किया गया। यह नियुक्ति अधिकतम 6 माह या इस पद पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा नियमित नियुक्ति होने तक रहेगा। प्रतिनियुक्ति के लिए शीघ्रताशीघ्र विज्ञापन जारी कर पद की प्रतिपूर्ति की जाय।

विषय कमांक–7

गोपनीय विभाग हेतु ''डिजीटल प्रिंटिंग मशीन'' कय किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : गोपनीय विभाग हेतु ''डिजीटल प्रिंटिंग मशीन'' कय किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मशीन परीक्षा मद कमसंख्या 8 ''डेवलपमेंट ऑफ कम्प्युटर कंज्यूमर'' बजट शीर्ष के अंतर्गत एच.सी.एल. इन्फो लि. नई–दिल्ली द्वारा D.G.S. & D. दर रुपए 11,52,173.00 + 5% VAT की स्वीकृति प्रदान की गई। संबंधित मशीन कय करने के पूर्व कंप्यूटर विभाग एवं कंप्यूटर सेंटर से मशीन की उपयोगिता के बारे में अभिमत प्राप्त कर ली जावे।

विषय कमांक–8

स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर दर पर पुनरीक्षण करने पर विचार करना।

निर्णय : स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर दर पर पुनरीक्षण करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए परीक्षकों, कार्यपरिषद सदस्यों, विद्यापरिषद के सदस्यों, अध्ययन मंडल सदस्यों को रुपए 3.00 प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता के स्थान पर रुपए 6.00 प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता भुगतान करने का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव अनुमोदन हेतु समन्वय समिति भेजा जावे।

विषय कमांक–9

निम्नलिखित अशासकीय महाविद्यालयों में परिनियम 28 के तहत प्राचार्यों की नियुक्ति के संबंध में चयन समिति की अनुशंसा से संबंधित लिफाफा खोला जाना है–

निर्णय : संबंधित लिफाफे खोलने के उपरान्त चयन समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित महाविद्यालयों के समक्ष दर्शाए शिक्षकों को प्राचार्य पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया गया :

कमांक	महाविद्यालय का नाम	प्राचार्य पद पर नियुक्त व्यक्ति का नाम
1	दिशा साइंस एंड कामर्स कालेज रामनगर, कोटा रोड, रायपुर	डॉ. समीर ठाकुर
2	दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज चंदखुरी, रायपुर	डॉ. रूपाली चौधरी
3	अपोलो कालेज शासकीय वेटनरी कालेज के सामने अंजोरा, दुर्ग	डॉ.अजय प्रकाश तिवारी

भिलाई मैत्री कालेज रिसाली, भिलाई, जिला–दुर्ग में योग्य अभ्यर्थी नहीं होने के कारण

एवं अविवा इंफोटेक कालेज, बैरनबाजार, रायपुर में कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होने के कारण रिक्त पद हेतु पुनः विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से..........

निर्णय क्रमांक–1

छात्रवृत्ति चयन समिति के संबंध में अध्यादेश क्रमांक 9(1)(B)के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु चयन समिति में कार्यपरिषद की ओर से निम्नलिखित तीन संकायाध्यक्षों का मनोनयन करने का अनुमोदन किया गया :

1. डॉ. ए.के. पति – संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान, आचार्य एवं अध्यक्ष, जैविकी अध्ययनशाला
2. डॉ. आर.पी. दास – संकायाध्यक्ष, प्रबंधन, आचार्य एवं अध्यक्ष, प्रबंधन संस्थान,
3. डॉ.(श्रीमती)रीता वेणुगोपाल – संकायाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा, आचार्य एवं अध्यक्ष अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला

निर्णय क्रमांक–2

गोपनीय मुद्रण संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

निर्णय क्रमांक–3

डॉ. रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय के द्वारा भी व्याख्यानमाला आयोजित किए जाने, प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान प्राप्त किया जाय।

अध्यक्ष की धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक/ 3112 /अका./2011 रायपुर, दिनांक 7 मार्च, 2011

प्रतिलिपि:

1. महामहिम कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्य,
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपकुलसचिव(अका)